परिचय

भारत का संविधान कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की गारण्टी देता है, फिर भी वास्तविकता यह है कि सदियोंसे चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव में महिलायें अभी भी अधीनस्थ अवस्था में जी रही है और अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है । महिलाओं की वास्तविक स्थिति को मान्यता देते हुए, संविधान भीमहिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के लिए प्रावधान करता है ।

राजस्थान सरकार समानता, सामाजिक न्याय तथा लिंग,जाति, समुदाय, भाषा व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने की संवैधानिक गारण्टी हेतु कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दुहराती है । यह नीति संविधान की इस भावना को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है ।विश्व विकास के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान को महिलाओं के निम्न स्तर, पुरूष प्रधान समाज, सामन्ती प्रथाएँ एवं मूल्यों, जातीयआधार पर घटित सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा एवं अत्यधिक दरिद्रता के पर्याय स्वरूप देखा जाता रहा है । कुछ सीमा तकतो राजस्थान की यह छवि संचार माध्यमों व चलचित्रों की देन हो सकती है, परन्तु एक कटु सत्य यह है कि राजस्थानीसमाज में बालिकाओं व महिलाओं को अनचाहा बोझ समझा जाता है । यह राज्य में प्रतिकूल लिंगानुपात जहॉ (910) सेस्पष्ट हो जाता है । इसमें क्षेत्रीय अन्तर बहुत अधिक है, यथा धौलपुर जिले में लिंगानुपात जहॉ 795 है वहां डूंगरपुरजिले में 995 है । विपरीत लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे निचले स्तर के जिले धौलपुर 795, जैसलमेर 807, भरतपुर 832,सवाई माधोपुर 852, गंगानगर 877, अलवर 880, कोटा 881, दौसा 884, बीकानेर 885 एवं बूंदी 889 है (भारत की जनगणना, 1991) । इस स्थिति के लिए अनेक सामाजिक कारण है तथा लिंगानुपात समाज में महिलाओं की वर्तमानसामाजिक–आर्थिक दशा एवं उनकी स्थिति का परिणाम है । महिला शिशु मृत्यु दर, आयु विशेष पर महिलाओं कीअस्वस्थता एवं मृत्यु, शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि, कार्य में सहभागिता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुॅच, अपर्याप्त पोषाहार एवं अन्यविकास सूचक बिन्दु समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति को निर्दिष्ट करते है ।सती एवं बालिका वध प्रथा जैसी कुरीतियॉ कई शताब्दियों तक सामान्य प्रक्रिया के रूप में चलती रहीं । पर्दा प्रथा एवंदहेज प्रथा आज भी राज्य में व्यापक रूप से प्रचलित है । यह भी माना जाता है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू एवं यौनहिंसा बहुतायत से व्याप्त है । यहां महिला साक्षरता देश में सबसे निचले स्तर पर है । बीमारी एवं अनदेखी के कारण लड़कों की तुलना में बड़ी संख्या में 4 वर्ष की आयु में लड़कियों की मृत्यु हो जाती है ।

यह सर्वविदित है कि देश के अन्यराज्यों की तुलना में राजस्थान की महिलाये एवं बालिकायें निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, दमन, सामाजिक भेदभाव, दरिद्रता एवंनिर्बलता के भार से अधिक दबी हुई है । बाल विवाह प्रथा की निरन्तरता एवं कन्याओं को 'पराया धन' समझने की प्रवृत्तिसे बहुत सही बालिकाओं का बचपन नष्ट हो जाता है तथा वे कामल आयु में ही घर की जिम्मेदारियों में डूब जाती है। शिक्षा एवं रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं को परम्परागत सामाजिक तन्त्र की सुरक्षा से आगे भीसुरक्षा की आवश्यकता है जात पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है । नये सामाजिक मूल्यों, प्रभावी कानून एवं प्रवर्तन प्रथाओं के अभाव मे राजस्थान की महिलाओं को एक गंभीर संक्रमणकाल से गुजरना पड़ रहा है । वास्तव में यह चुनौतीपूर्ण समय है ।दयनीय स्तर एवं विषम जीवन परिस्थितियों के रहते हुए भी, इस राजय की महिलाये अपने साहस, ताकत एवं दृढ़ निश्चय के लिए विख्यात है । ऐसे कठोर वातावरण में जीना, जहॉ पानी एवं ईधन की व्यवस्था हेतु कई घण्टे कठोर परिश्रम करनापड़े, अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है ।

राजस्थान की महिलायें अपनी कलात्मक भावना, गायन, नृत्य एवं पारस्परिककलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है । वे निर्माण स्थलों एवं सड़कों पर कठिन कार्य के वातावरण में कठोर मेहनतकरने की अपनी क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध है । जहॉ एक ओर महिलाये दिल्ली व अन्य पड़ौसी राज्यों में पुरूषों के साथकंधे से कंधा मिलाकर कठिन परिश्रम करती हुई देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर कुछ समुदायों में जहॉ पुरूषजीविकोपार्जन के लिये बाहर गये हुए है, महिलाये कठिन परिस्थितियों में अपनी गृहस्थी चलाती है ।राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य है जिसने 1984 में 6 जिलों में महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास कार्यक्रमआरम्भ किया । तत्पश्चात् कार्यक्रम के आकलन के सकारात्मक परिणामों के फलस्वरूप वर्तमान में इस कार्यक्रम का विस्तारसम्पूर्ण राज्य में कर दिया गया है । यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम में महिलाओं को निष्क्रियलाभार्थी के रूप में सेवायें एवं सुविधाऍ उपलब्ध कराना नहीं होकर इस कार्यक्रम का उद्धेश्य जानकारी, शिक्षा एवं प्रशिक्षणके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मूल धारा से जोड़ना है ।

इस योजना की मुख्य रणनीति के अन्तर्गत इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रावधान किया गया है। राज्य तथा जिला स्तर पर 'इदारा' (सूचना विकास एवं संदर्भ एजेन्सी) के रूप में किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था का चयन किया जाता है । 'इदारा' महिला विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी, अकादमिक एवं सन्दर्भ सहायता उपलब्ध कराता है ।विभिन्न विभागों की अनेक योजनायें हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्धेश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है ।

महिला विकास कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है । इसके लिए समस्त विकास कार्यो की जानकारी उन तक पहुॅचाना, उन्हें विकास की कड़ी बनाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का प्रयास करना है। सीमित संसाधनों के कारण कार्यक्रम की पहुॅच सीमित क्षेत्र तक है, परन्तु फिर भी इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकताकि संबंधित क्षेत्र में चेतना जागृत करने, सामाजिक न्याय हेतु दृष्टिकोण के परिमार्जन एवं विकास कार्यो का लाभ ग्रामीणमहिलाओं तक पहुंचाने एवं नेतृत्व प्रदान करने में महिला विकास कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है । इसीक्रम में राज्य सरकार ने दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिये है जिनके तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई एवं महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

कदाचित् इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज राजस्थान की महिलायें लगभग सभी क्षेत्रों में आगे आने को आतुर है ।महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि यदि उपयुक्त वातावरण तैयार कियाजावे, तो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से सहजता से जोड़ा जा सकता है । हम उस दिन की आशा कर रहे है जब राजस्थान की महिलाओं को मानवीय विकास की निचली सीढ़ी पर नहीं रखा जायेगा । महिलाओं के लिए राजयसरकार द्वारा सीभी स्तरों पर समानता एवं सामाजिक न्याय हेतु महिलाओं के संघर्ष का समर्थन किया जाएगा । यह नीति उपयुक्त कानून बनाने तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण आवंटन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयत्न करती है ।

यह दस्तावेज सरकार की नीति मात्र नही है अपितु यह समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के संघर्ष को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए एक मंच है । अपेक्षा की जाती है कि नीति सभी प्रकार के संगठनों एवं संस्थाओं, न्यासों, कल्याणकारी निकायों एवं अन्य को समाज में व्यापक चर्चा एवं कार्य के लिए प्रेरित करेगी ।

सन्दर्भ

गत कुछ वर्षो में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए नीति की उद्घोषणा की है । भारतसरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी राष्ट्रय महिला नीति पर 1996–97 में एक चर्चा आरम्भ की थी । इन प्रयासों से समानता एवं सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के संघष में ऐसे दस्तावेज की उपादेयता पर चर्चा प्रारम्भ हुई ।
अनेक विशेषज्ञों का मत है कि प्रगतिशील नीतियॉ एवं कानूनी प्रावधान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायक होते है। भारत का संविधान भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद को मान्यता प्रदान करता है । महिलाओं के पक्ष मे इससकारात्मक धारणा ने महिला समर्थक कानूनों, आरक्षण एवं विशेष कार्यक्रमों को वैधता प्रदान की है । राज्य सरकार की मान्य
ता है कि महिलाओं के पक्ष में उठाया गया प्रत्येक कदम समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष में महिलाओं की मदद करेगा । इस धारणा के साथ सरकार ने महिलाओं के लिए नीति उद्घोषित करने का निश्चय किया है ।यह आशा की जाती है कि यह नीति पारम्परिक नीति दस्तावेजों से हटकर होगी । इसे एक कार्यकारी दस्तावेज, जोगतिशील एवं आशावादी दृष्टिकोण रखता है, के रूप में देखना उचित होगा । इस नीति में न तो सब प्रश्नों के उत्तर समाहित है और न ही महिलाओं से संबंधित सभी बिन्दुओं को शामिल करने का दंभ है । यह दस्तावेज परिधियों कोचिन्हित करने का प्रयास करता है तथा आशा है कि जैसे–जैसे अनुभव प्राप्त होगा इसमें परिष्कार किया जाएगा ।

सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती नीतियों, कार्यक्रमों एवं आधारभूत वास्तविकता के बीच के अन्तर को पाटना है । हमारा संविधान विश्व के सबसे अधिक प्रगतिशील संविधानों में से है । हमने जैण्डर क्षमता पर आधारित कानून एवं विधान बनाया है । हम समानता, भेदभाव न बरतने एवं सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध है । हम महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है (सीईडीएडब्ल्यू 1979) ।इन्हें वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने की चुनौती हमारे समक्ष है । इस दस्तावेज का उद्धेश्य कोई नई चीज न कहकर, इसदेश के कानूनों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है ।

नीति के उद्देश्य

समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं के स्तर एवं स्थिति में सुधार करने तथा शोषण एवं शोषणवादी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों व तन्त्र को गतिशील बनाना व राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सहायक वातावरण तैयार करना इस नीति का उद्धेश्य है ।इस उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए उपाय निम्नानुसार उल्लेखित है :

- ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम लागू करना जो लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय (जैण्डर न्याय सहित) प्रदान करने तथा महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाएं ।
- घर की अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता देना सरकार संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सबकी समान पहुॅच एवं नियंत्रण के लिए प्रयत्न करेगी ।
- अत्यधिक दरिद्रता एवं विषम परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरी कन्याओं एवं महिलाओं की विशेष जरूरतों को मान्य ता देना व समाज के दुर्बल वर्गो के विकास हेतु प्रयासों को लक्षित करना ।
- महिलाओं में कुपोषण, अस्वस्थता, जल्दी बच्चे पैदा होने एवं अधिक मृत्यु के जीवन–चक्र को मान्यता देना, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जीवन–चक्र के ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना जो बचपन से वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण पर आवश्य कताओं को मान्यता देता है । महिलाओं को प्रजनन

स्वास्थ्य पर अधिक नियन्त्रण करने एवं अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए सहायता प्रदान करना ।

• सभी बालिकाओं को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दिलाना, निरक्षर एवं नव–साक्षर किशोरियों एवं महिलाओं को बुनियादी एवं सतत शिक्षा के अवसर प्रदान कराना तथा महिलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर समान सुविधा दिलाना ।

• सभी स्तरों पर सभी विभागों में सरकारी कार्यकर्ताओं की जैण्डर संवेदनशीलता के लिए सहायक वातावरण एवं उपयुक्त तन्त्र सृजित करना तथा राजनीतिज्ञों, राय निर्माताओं एवं मीडिया को संवेदनशील करना ।

• राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोन्नत करना एवं समर्थन देना तथा विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करना ।

त्रिआयामी दृष्टिकोण

किसी भी नीति में व्यापक रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को सूचीबद्ध करना संभव नही है ।राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में यह कार्य और भी दुष्कर हो जाता है जहाँ एक ओर क्षेत्रीय स्तर पर भौगोलिक विषमताएँ है,वही दूसरी ओर भिन्न–भिन्न सामाजिक व पारस्परिक दृष्टिकोण महिलाओं के लिए असमानता के वातावरण को प्रभावित करते है । प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परम्पराएँ एवं संस्कृति है जिनके स्वरूप को संरक्षित करते हुए उनमें व्याप्त कुप्रथाओं को दूर कर जैण्डर समता का उद्धेश्य प्राप्त करना एक कठिन कार्य है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता के अनुरूप एक सकारात्मक सहयोग की भूमिका अदा करते हुए कार्य करे व इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिससे सभी वर्ग की महिलाएँ सशक्त व संगठित होकर समाज में सही स्थान पा सकें । इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नीति एक व्यूह रचना के रूप में संविधान द्वारा प्रतिपादित समानता, सामाजिक न्याय व समान नागरिकता को आधार–स्तम्भ मानकर प्रारूपित की गई है । इस नीति की क्रियान्विति के लिए इसे त्रि–आयामी रूप प्रदान किया गया है । जिससे सरकार की भवना यथर्थ रूप में चित्रित होती है ।

ये त्रिआयाम निम्नानुसार है–

I- अधिकार परिप्रेक्ष्य की पुनः अभिपुष्टि–

प्रथम आयाम इस नीति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करते हुए हमें कल्याणकारी विचारधारा के स्थान पर सशक्तिकरण व अधिकार प्रदत्त करेन की भावना को अधिक महत्व देता है । वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है कि इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि महिलाएँ सामाजिक व राजकीय तंत्र पर पूर्णतः आश्रित न होकर स्वयं सशक्त हों तथा अपने अधिकारों व दायित्वों को समझते हुए विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएँ । इसके लिए प्रशासकों,नीति–निर्माताओं, राजनीतिक व सामाजिक नेताओं एवं सेवा प्रदानकर्ताओं की महिलाओं के प्रति अधिष्ठायी मानसिकता को बदलना आवश्यक है ।

II- विषम परिस्थितियों में घिरी हुई महिलाओं एवं विशेष फोकस ग्रुपों तक पहुँचना–

द्वितीय आयाम हमारे समाज के दुर्बल वर्गो को चिन्हित करता है तथा यह स्वीकार करता है कि सभी महिलायें एक ही श्रेणी की नहीं है । इससे प्रशासकों, सेवा प्रदानकर्ताओं को अपने प्रयत्नों को उन समूहों पर लक्षित करने में मदद मिलेगी जिन्हेंउनकी नितान्त आवश्यकता है ।

III- समुचित विधान, कार्यक्रम विकास, परिनिरीक्षण एवं कार्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र–

तृतीय आयाम उन प्राथमिकताओं को अनुसूचित करता है जिन पर सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व अन्य क्षेत्रों से कार्य अपेक्षित है । इससे सभी को अपने–अपने क्षेत्र में कार्य योजनाएँ तैयार कर प्राथमिकताओं को ध्यानमें रखते हुए क्रियान्वयन की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलेगी ।

अधिकारों के परिप्रेक्ष्य की पुनः अभिपुष्टि

समान अधिकारों की संवैधानिक गारण्टी से अभिप्रेत यह नीति महिलाओं के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है । महिला दशक (1975–85) की अवधि में महिला विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया व सरकार महिलाओं को निष्क्रिय लाभग्राही न मानकर उसको सशक्त बनाने की ओर उन्मुख हो गई । भारत सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध सब प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दिसम्बर, 1979 के समझौते पर हस्ताक्षर किये । यह समझौता भारतीय संविधान की भावना की पुष्टि करता है । यह नीति दस्तावेज इस समझौते की अधिकार–परक परिप्रेक्ष्य की भावना पर आधारित है । विशेष रूप से यह नीति निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन करती है–

- जीवन, उत्तरजीविता, जीविका के साधनों, आश्रय एवं मूलभूत आवश्यकताओं ;ठेंपब छममकेद्ध का अधिकार । समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, भेदभावरहित वातावरण तथा प्रजनन में महिलाओं के योगदान की अभिस्वीकृति तथा कामकाजी महिलाओं के लिए बालरक्षा सेवाओं के लिए सह–प्रतिबद्धता का अधिकार ।
- प्राकृतिक संसाधनों एवं सामान्य सम्पत्ति संसाधनों तक पहुंच का अधिकार ।
- ऐसे सुरक्षित वातावरण का अधिकार जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के जीवन में सहायता करे ।
- अबोध शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार ।
- स्वयं के शरीर पर अधिकार एवं स्वेच्छा से गर्भधारण करने का अधिकार ।
- शिक्षा, सूचना, कौशल विकास एवं ज्ञान के अन्य साधनों का अधिकार ।
- हिंसा, अतिक्रमणों एवं दासता के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार । गरिमा एवं व्यक्तित्व का अधिकार, हिंसा एवं सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्ति का अधिकार ।
- गरीब महिलाओं के लिए विधिक सहायता सहित विधिक एवं सामाजिक न्याय का अधिकार ।
- सभी समुदायों एवं जातियों की महिलाओं के लिए अविभेदकारी वैयक्तिक कानून का अधिकार ।
- सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं एवं रोजगार के लिए समान पहुँच का अधिकार ।
- राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासन की सामाजिक संस्थाओं में समान भागीदारी का अधिकार ।

ये अधिकार नीति निध्रारण के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करते है एवं स्वीकार करते है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, जीविका आदि तक पहुँच अपने आप में ही महत्वपूर्ण है न कि केवल वंश वृद्धि के सहयोगी साधन के रूप में । यह नीति महज जनन दृष्टिकोण से दूर

हटने तथा शक्ति प्रदन्त करने एवं अधिकारों में पैठ करने की अभिपुष्टि करती है। आशा है कि यह परिप्रेक्ष्य, यदि पूर्ण समक्ष के साथ इसे स्वीकार किया जाता है, जो प्रशासकों, नीति निर्माताओं एवं सभी स्तरों पर सेवा प्रदान करने वालों की मानसिकता में परिवर्तन लायेगा । यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को अब और अधिक समय तक कल्याण कार्यो में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखा जाएगा । अपितु अधिक स्वायत्तता, विश्वास, ज्ञान, सूचना, गतिशीलता एवं दक्षता प्रदान करने के लिए बने कार्यक्रमों की प्रकृति एवं विषय–सामग्री को सुनिश्चितकरने में सक्रिय सहभागी के रूप में देखा जाएगा ।संक्षेप में, यह अवधारणा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करने में सरकार को समर्थ बाएगी ।

विशेष फोकस ग्रुप

महिलाओं को एक ही अविभेदिक एवं समान श्रेणी में नही रखा जा सकता है । अलग–अलग सामाजिक एवं आर्थिक समूहों की महिलाओं की समस्यायें भी अलग–अलग होती है । यह आमतौर पर स्वीकार किया गया है कि राजस्थान में महिला, बच्चों एवं किशोरी कन्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रचलित सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । शारीरिक एवं मानसिक बाधा पुरूषों एव महिलाओं को अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करती है । इसी प्रकार हिंसा, सामाजिक मतभेद एवं बलात् प्रवास पुरूषों एवं महिलाओं को अलग–अलग प्रकार से प्रभावित करता है । विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत वाले समूहो को परिचिन्हित एवं सूचीबद्ध करने के महत्व को स्वीकार करते हुए यह नीति सभी समूहों, समुदायों, क्षेत्रों एवं आयु वर्गो में तथा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं एवं कन्याओं तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(क) बालिकाएँ एवं किशोरी कन्याएँ

कोई भी समाज तब तक प्रगति करने की आशा नहीं कर सकता जब तक कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझ कर उनके उचित पालन–पोषण की ओर ध्यान नही देगा । कुपोषण, निरक्षरता एवं हिंसा के शिकार शिशुओं का स्वस्थ्य एवं प्रसन्नचिन्त वयस्क बनना संभव नहीं । वे अभाव, विभेदीकरण, अव–पोषण, निरक्षरता एवं खराब स्वास्थ्य के चक्र में घूमते रहेंगे । महिला, बच्चों एवं किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनकी खुशी पर पूंजी विनिवेश सार्वजनिक कार्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है । राजस्थान में तो यह और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहॉ लिंगानुपात में चिन्ताजनक दर से कमी आ रही है । महिलाओं के विवाह की औसत आयु अब भी 15.4 वर्ष तथा प्रभावी विवाह की औसत उम्र 17.9 वर्ष है । किशोरी बालिकाएं घरेलू जिम्मेदारियॉ निभाती रही है, जिनमें उनके शरीर को मातृत्व के बोझ को झेलने हेतु तैयार होने से पूर्व ही बच्चे पैदा करना भी शामिल है । सरकार किशोरी बालिकाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम चालू करने के लिए वचनबद्ध है जो उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करे । यथार्थ स्थिति एवं इस समस्या की संवेदनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए, कार्य करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है ।

- घटते हुए लिंगानुपात, लिंग चयन के आधार पर गर्भपातों, बालिकाओं के महत्व, महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारण्टी, पोषात्मक विसंगतियों एवं तत्परिणमस्वरूप कन्याओं में कुपोषण एवं रक्ताल्पता, बाल विवाह एवं अठारह वर्ष से कम उम्र में गर्भधारण के विपरीत प्रभाव एवं बुनियादी शिक्षा के महत्व पर एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाना ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालिका को (औपचारिक/अनौपचारिक) शिक्षा के लिए अवसर प्राप्त है तथा वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा पर, विशेषकर कुपोषण एवं रक्ताल्पता के निवारण हेतु, विशेष ध्यान देती है, विविध प्रकार से कन्याओं तक पहुॅचना तथा सहायक सेवाएं प्राप्त करना

एवं ऐसा प्रभावी वातावरण सृजित करना जिससे कन्याये स्वस्थ एवं विश्वासपूर्ण महिला के रूप में अपना विकास कर सकें ।

• औपचारिक स्कूल पद्धति के भीतर एवं उसके बाहर बालिकाओं एवं किशोरी कन्याओं के साथ कार्य करने के लिए गैर–सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना । बालिकाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध करना जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता परामर्शी सेवाओं तथा व्यक्तित्व विकास की ओर केन्द्रित हों ।

• बाल विवा (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करना ।

(ख) कमजोर वर्ग

प्रगति के लगभग सभी सूचक समुदायों, क्षेत्रों एवं जातियों में गम्भीर भेदों को प्रदर्शित करते है । राजस्थान में आदिवासी, घुमन्तू एवं अनुसूचित जाति के लोग रहते है जहॉ मातृत्व एवं शिशु मुत्यु दर अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक है तथा साक्षरता 0.5 प्रतिशत तक कम है । कुछ क्षेत्रों में अपनी व अपने बच्चों की जीविका हेतु, निर्वाह के साधनों की कमी से महिलाओं को मजबूरी में वेश्यावृत्ति अपनाने के उदाहरण भी असामान्य नहीं है । इन गरीब एवं विशेषाधिकार से वंचित जातियों एवंजनजातियों के पास पहनने के लिए आवश्यक वस्त्र भी नहीं होते जिसके कारण भी बच्चों को स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना पड़ता है । घर एवं समाज में हिंसा के कारण यह विषम आर्थिक परिस्थिति और भी भयावह बन जाती है ।इन जातियो, आदिवासी समुदायों, घुमन्तू एवं अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

• प्रथम उपाय के रूप मे सरकार इन ग्रुपों को जिलेवार सूचीबद्ध करने एवं उनकी रूप–रेखा और तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है । आशा की जाती है कि इससे योजनाकारों, प्रशासकों तथा सेवा प्रदान करने वालों को अपने कार्यक्रमों को अधिक सावधानी के साथ लक्षित करने की तरफ ध्यान आकर्षित होगा ।

• इन वर्गो के लिये समेकित कार्यक्रमों को इस तरह तैयार कर विकसित करना जिससे इन समुदायों की विविध आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके, एवं

• गैर–सरकारी संगठनों को अपने प्रयत्नों को इन समुदायों की ओर केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(ग) विषम परिस्थितियों में महिलाऍ

समाज में प्रचलित व्यवस्था में कतिपय महिलाऍ स्वयं को मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाती है । वे अक्सर स्वयं को कमजोर महसूस करती है तथा उनके साथ अत्याचारपूर्ण बर्ताव किया जाता है । विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित एवं सन्तानहीन महिलाये, इन सभी को घर एवं समाज पर बोझ समझा जाने लगता है । उनमें से बहुतो को निकाल दिया जाता है या आश्रय एवं भोजन की व्यवस्था के लम्बे समय तक काम करना पड़ता है । इस प्रकार की महिलाओं की शोषण की दास्तानें इतिहास में उपलब्ध है । बढ़ते हुए सामाजिक दबाव व गरीबी के चलते दरिद्रता का सबसे अधिक भार महिलाओं को वहन करना पड़ता है । इसे दरिद्रता का महिलाकरण कहा गया है जहॉ सामाजिक एवं आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले भाग पर अधिकांश स्त्रियॉ हैं ।

• 1950 के प्रारम्भ से सरकार ने विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाऍ एवं कार्यक्रम लक्षित किए है । ऐसी महिलाओं के राज्यभर में विखराव के कारण, उनके लिए प्रीाावी कार्यक्रम तैयार करने मेंकठिनाईयॉ आती है । सरकार ऐसी महिलाओं तक पहुंचने के लिए नवीन उपाय तलाशने तथा शिक्षा, कौशल विकास, आय अर्जित करने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है । यह नीति स्वीकार करती है कि ऐसे प्रयत्न सशक्तिकरण एवं अधिकारों के समग्र ढांचे के अन्तर्गत तैयार किए जाएंगे ।

• शारीरिक एवं मानसिक बाधायें महिलाओं पर भिन्न प्रकार से प्रभाव डालती है । वे समाज से बहिष्कृत कर दी जाती है तथा यदि वे अपने परिवार के साथ रहती भी है तो उनकी दशा अति सोचनीय होती है । अनेक विकलांग महिलाये घर पर अवैतनिक श्रमिक की भांति कार्य करती है । दृष्टिहीनता, वाणी एवं श्रवण आदि की अपंगता महिलाओं को सामाजिक सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर रहने को मजबूर करती है । सरकार उनकी शिक्षा के लिए अवसर सृजित करने एवं उनकी आय के साधनों को जुटाने की महत्ता को स्वीकार करती है । यह इसे भी स्वीकार करती है कि समुदाय आधारित संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों तथा परोपकारी संस्थाओं को इस क्षेत्रमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी ।

• मनोचिकित्सालयों की चारदीवारी के भीतर बन्द महिलाओं की दुर्दशा को समय–समय पर संचार माध्यमों के द्वारा उजागर किया जाता रहा है । हो सकता है कि इनमें से अनेक महिलाएँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हों । किन्तु यह भी सम्भावना प्रबल है कि काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को उनके परिवारों के द्वारा विक्षिप्त (या अभिशप्त डायन) करार कर इन चिकित्सालयों में भेज दिया गया हो । अनेको परिवार उपचार पूरा हो जाने के बाद भी इन चिक्त्सिालयों अथवा इस प्रकार की संस्थाओं से महिलाओं को वापस ले जाने में रूचि नहीं रखते । सरकार उनके पुनर्वास हेतु मार्गोपायों की तलाश करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

• अत्यन्त दरिद्रता एवं शक्तिशून्यता कभी–कभी बालिकाओं एवं महिलाओं को असहाय बनाकर जीविकापार्जन के लिए अनैतिक यौनाचार की ओर ले जाती है । इनमें से अनेक बालिकाओं को उनके घरो से अपहत कर अथवा क्रय कर इस प्रकार के व्यवसायों में बलात् डाल दिया जाता है । राजस्थान में मुख्य राजमार्गो के निकट रहने वाली महिलाओं द्वारा कभी–कभी अपने घर की स्वल्पआय को सम्बल देने के लिए इस व्यवसाय को अपनाने को मजबूर होने के प्रकरण भी असामान्य नही है । ऐसी महिलाएँ अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हुए येन–के–प्रकारेण अपना अस्तित्व बनाये रखती है । इन्हें प्राय हिंसा व शोषण का शिकार भी होना पड़ता है ।विभिन्न प्रकार के यौन रोग व एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है । आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की अत्यधिक कमी व भीषण असुरक्षा की भावना के चलते वे सुरक्षित यौन सम्पर्क नही अपना पाती है । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व दयनीय स्थिति का सामना ये महिलाएं तब करती है जब परिवार के लिए धनोपार्जन में असमर्थ होने के फलस्वरूप उन्हें अपने ही परिवारजनों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है । सरकार ऐसी महिलाओं तक पहुंचने एवं उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता को स्वीकारती है । यहॉ पर भी समुदाय आधारित संस्थानों, संगठनों एव परोपकारी समूहों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

विधान, कार्यक्रम विकास एवं कार्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र

यद्यपि यह नीति राज्य सरकार द्वारा सभी से सहयोग एवं विचार–विमर्श से निर्धारित की गई है किन्तु राज्य सरकार की यह मान्यता है कि इसका सफल क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार एवं इसके तन्त्र द्वारा न तो संभव होगा और न ही वांछित होगा । फलस्वरूप गैर–सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों/ अकादमिक संस्थानों, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अन्य नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गो को इस नीति के क्रियान्वयन से जोड़ना आवश्यक होगा ।इस बात को भी आत्मसात् करने की आवश्यकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केवल कतिपय विभागों या कतिपय संगठनों की अलग–अलग कार्ययोजनाओं के स्थान पर एक सर्वागीण तथा एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता होगी ।महिलाओं की अधिकांश समस्यायें एक–दूसरे की पूरक है, अतः उनके समाधान में भी इस तथ्य का समावेश करना होगा ।सामाजिक सेवाओं जैसे बच्चों की देख–रेख, स्वच्छ पेयजल, उचित सफाई सुविधाये, आय अर्जित करने के

अवसर तथा घर एवं समाज में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने के लिए तन्त्र आदि सबको एक साथ कार्य करना होगा । जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना असम्भव होगा जब तक पुरूष एवं महिलायें दोने, अपने बच्चों के उत्तरजीवी होने के बारे में निश्चित न हो जाएँ एवं उन्हे अपने जीविकापार्जन के अवसर प्राप्त न हो । प्रजनन का भार महिलाओं पर डालने एवं जनसंख्या नियन्त्रण के लिए उन्हें लक्ष्य बनाए जाने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा ।आगे आने वाले अनुच्छेदों में महिला विकास से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की पहचान की गई है एवं मुख्य–मुख्य विभागों की सूची दी गई है तथा सबंधित राजकीय विभागों को चिन्हित कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया हुआ है । यह महिला विकास के लिये एक एकीकृत कार्ययोजना बनाने में सुविधा की दृष्टि से किया गया है । राज्य सरकार समस्त विभागों से यह अपेक्षा करती है कि उनके द्वारा बनायी जाने वाली कार्ययोजना में सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गो की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी ।

(क) आर्थिक सशक्तिकरण

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि कृषि, पशुओं की देखभाल, वनोत्पादों के संग्रह, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों (खनन निर्माण आदि) में मजदूर श्रमिक, खाद्य प्रसंस्करण में गृह आधारित कार्य, हस्तकला एवं लघु व्यापार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को अनदेखा कर दिया जाता है । गृहस्थी में महिलाओं के सम्पूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें प्रायः परजीवी तथा परिवार के अनुत्पादक सदस्य के रूप में माना जाता है । राजस्थान में महिलाओं को अपने घर पर एक आर्थिक दायित्व तथा ससुराल में एक बोझ के रूप देखा जाता है । महिलायाओं के कार्य की अदृश्यता एवं स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि पर उनका नियन्त्रण न होने के कारण परिवार, समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को अब तक नगण्य समझा जाता है । महिलाओं को मजबूरन अनौपचारिक क्षेत्र में तथा कम कौशल एवं कम वेतन वाले व्यवसायों में काम करना स्वीकार करना पड़ता है । महिलाओं के पास गैर–परम्परागत व्यवसाय में काम करने के बहुत कम अवसर है और यदि अवसर उपलब्ध भी है तो पारिवारिक व सामाजिक बंधनों के रहते वे इन अवसरों का लाभ नहीं ले पाती है ।महिलाओं के लिए बहुत से आर्थिक कार्यक्रम तैयार किए गए है किन्तु वे कौशल विकास, आय–अर्जन, आत्मविश्वास पैदा करने, गतिशीलता प्रदान करने व जागरूकता पैदा करने में समग्र रूप से सफल नहीं रहे है । महिलाओं की शक्ति एवं उनके सामाजिक स्तर का निश्चय उनकी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से बौद्धिक संसाधनों तक उनकी पहुँच, सकारात्मक आत्मसम्मान तथा सामूहिक एवं आर्थिक संसाधनों में उनकी सहभागिता व भागीदारी के आधार पर किया जा सकता है । विगत पचास वर्षो में आय संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों में सारा दबाव आय अर्जित करने पर रहा है परन्तु उस आय पर उनका स्वयं का नियंत्रण न हो पाने के कारण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है । इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार महिलाओं को वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्प है ।

इस नीति के पुमुख बिन्दु इस प्रकार है–

• वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना– ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं बैंक पोषित योजनाओं में वित्तीय सहायता हेतु महिला लाभार्थियों की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सम्पत्तियॉ अथवा नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के पुनर्वास के समय भूखण्ड के आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर अथवा परिवार की महिला मुखिया के नाम पर दिये जाने हेतु प्रयास करना ।महिला समूहों एवं स्व–सहायता समूहों

को वित्तीय संस्थाओं में ऋण की सहज सुविधा उपलब्ध करना तथा रोजगार गारण्टी योजनाओं एवं दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना ।

• महिला समूहों एवं सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन देना– विशेष योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के स्वयं–सहायता समूहों, महिला समूहों एवं सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करने हेतु नये आयामों को खोजना एवं उसके लिए आवश्यकतानुसार कानूनों, नियमों व प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए प्रयास करना ताकि वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो । समूहों के सुदृढ़ीकरण एवं कार्य को गति देने के लिए समय–समय पर विषय से संबंधित प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण आयोजित करना एवं समूह की गतिविधियों का पुनरीक्षण करना ।

• महिलाओं में अपनी बात कहने व मनवाने की क्षमता को बढ़ावा देना व आत्मविश्वास पैदा करना–महिलाओं के सशक्तिकरण ने उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्धेश्य से वर्तमान में चल रहे इस प्रकार के कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार इस दिशा में प्रभावी प्रयास करने के लिए कृतसंकल्प है ।

• प्रशिक्षण, कौशल–विकास एवं प्रबन्ध में सुधार– ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए अवसर उत्पन्न करना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण, पैरामेडिकल प्रशिक्षण (ए.एन.एम.), शिक्षक प्रशिक्षण आदि में महिलाओं के प्रवेश को सुगम बनाना । यह सुनिश्चित करना कि जो महिलायें शिशु पालन की जिम्मेदारी को पूर्ण कर व्यावसायिक या अन्य अर्द्ध–व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें, तो उन्हे बच्चों की जिम्मेदारी के कारण अयोग्य नहीं समझा जाये । इस प्रकार की माताओं के लिए आवश्यकता के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना जहॉ उनके बच्चों की देखभाल व उनके शिक्षा संवर्धन के कार्यक्रम संचालित किये जा सकें । प्रशिक्षण सुविधाओं को सुधार कर पुनः तैयार करना ताकि उनके द्वारा रोजगार एवं स्व–रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाएं । इन प्रशिक्षणों में उच्च दक्षता–प्राप्त एवं गैर–परम्परागत व्यवसायों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए ।

• महिला कृषकों के योगदान को मान्यता देना एवं प्रोन्नत करना– महिला कृषकों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) एवं विपणन सहायता प्रदान करने से कृषि में उनका योगदान अधिक दृश्यगत होगा ।

• महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना– महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श सेवा एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऋण दिलाये जाने के लिए समुचित व्यवस्था करना ।

• महिलाओं के हित के लिए रोजगार नीतियॉ–

समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्य स्थलों पर भेदभव न बरतने को प्रोत्साहन– समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना महिलाओं के हित के लिए रोजगार नीतियॉ चलाने की ओर प्रथम प्रयास है । सरकार द्वारा प्रवर्तित रोजगार गारण्टी योजनाओं एवं दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रमों में इसका विशेष महत्व है ।

औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास प्रणाली को सुगम बनाना– महिलाओं की प्रजनन व पालन–पोषण संबंधी जिम्मेदारियों, साथ ही विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औपचारिक क्षेत्र में विद्यमान नियमों एवं विनियमों को संशोधित करना जिससे उनके लिए रोजगार सुलभ हो सके ।

औपचारिक संस्थाओं में समय में परिवर्तन की सुविधा– यह ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं को अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अपने कैरियर एवं घर के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अतः औपचारिक संस्थाओं (सरकारी, निजी एवं गैर–सरकारी) में कार्य समय को लचीला व सुगम बनाना ।

शिशु पालन केन्द्र या शिशु पालना गृह– कोई भी ऐसी संस्था या कार्यस्थल जहॉ 25 या उससे अधिक स्त्री या पुरूष काम करते हों, वहॉ बच्चों की देखरेख के लिए पालना गृह संबंधी कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

यौन उत्पीड़न के प्रति संरक्षण एवं प्रतिशोध– कार्यस्थलों पर यौन–उत्पीड़न रोकने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों को लागू करना, सुनिश्चित करना तथा इनके आधार पर विभिन्न कानूनों, नियमों जैसे आचरण नियम आदि में उपयुक्त प्रावधान करना जिससे इनकी अनुपालन में कोई कमी न रह पाये ।

सुरक्षित कार्य के लिए वातावरण सृजित करना– सरकार महिला कार्यकर्ताओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के महत्व को स्वीकार करती है । ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के लिए इसका विशेष महत्व है ।

कार्यस्थल में भेदभव के विरूद्ध संरक्षण– कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति भेदभाव बरतने तथा पदोन्नति एवं आगे बढ़ने के समुचित अवसर नहीं होने आदि संबंधी मुद्धे औपचारिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से है । सरकार उपयुक्त कानूनों के द्वारा औपचारिक क्षेत्र में भेदभवरहित प्रक्रियाओं को प्रोन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

सुदूर/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को आवास एवं आधारभूत सुविधाये प्रदान करना–

ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवास, कार्यस्थलों पर शौचालय एवं सुरक्षित पेयजल स्रोतों की व्यवस्था करना ।

प्रसूति अवकाश एवं पितृ प्रसूति अवकाश– कानूनी प्रसूति अवकाश के अलावा, दो सप्ताह तक पितृ अवकाश तथा माताओं के लिए छह माह तक का अर्द्ध–वेतन अवकाश प्रदान करना ।

नोडल विभागः विशिष्ट योजना संगठन

प्रमुख विभाग :

1. श्रम एवं नियोजन
2. वित्त
3. कार्मिक
4. उद्योग
5. कृषि
6. पशुपालन
7. विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी
8. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
9. नगरीय विकास व आवासन

(ख) सामाजिक समर्थक सेवायें:

1950 के प्रारम्भ मे सरकार ने सकारात्म कार्रवाई के रूप में समर्थक कानूनों व सहयोगात्मक ढांचे का प्रावधान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । महिलाओं के मामले मे, कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु पालन केन्द्रों की व्यवस्था करने, ग्रामीण विद्यालयों की अध्यापिकाओं एवं ए.एन.एम. के लिए आवास सुविधा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है । वर्तमान में विद्यालयों, शैक्षिक संस्थओं, कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय सुविधा प्रदान करने को सामाजिक समर्थक सेवा के रूप में स्वीकार किया गया है ।एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को ऐसी ग्राम आधारित संस्था माना गया जो 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए पूर्व–विद्यालय सुविधायें एवं पूरक पोषाहार की

सुविधा प्रदान करेगी । इसमें ग्रामीण शिशु पालन केन्द्र की स्थापना पर भी विचार किया गया । इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निर्माण किया गया । इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निर्माण किया जाना भी शामिल है ।उक्त उल्लेखनीय कार्य किए जा चुके है, परन्तु सरकार यह स्वीकार करती है कि गरीब महिलाओं को सामाजिक समर्थक सेवायें प्रदान करने हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है । पक्ष समर्थन एवं कार्रवाई के लिए तीन वयापक क्षेत्रों को परिचिन्हत किया गया है–

- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समस्त कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु पालन सुविधाओं का प्रावधान । प्रवासी कार्यकर्ताओं, निर्माण कार्यो में लगे मजदूर श्रमिकों, अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जहॉ महिलाओं को कृषि कार्य हेतु बाहर जाने पर उनके बच्चों को कई घण्टे छोड़ना पड़ता है, के लिए इनका महत्व बहुत अधिक है । सरकार आवश्यक नियम एवं विनियम बनाकर निजी क्षेत्रो में न्यूनतम निर्धारित व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संगठनों/कार्यस्थलों पर शिशुपालन सुविधायें प्रदान कराने को आवश्यक बनाने का प्रयास करेगी । इन शिशु पालन केन्द्रों के लिए अनिवार्य कल्याणकारी अंशदान की व्यवस्था के लिए भी प्रयत्न किया जाएगा ।
- विद्यालयों, शैक्षिक संस्थओं, सार्वजनिक स्थानों तथा ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में शौचालय की सुविधायें मुहैया कराना । महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामान्य हित के लिए यह महत्वपूर्ण है । शैक्षिक संस्थाओं में बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधाये प्रदान करना एक ऐसा आवश्यक पूंजी निवेश है जो कि उनकी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति व उनको विद्यालय में रोकने के लिए भी सहायक होगा । विद्यमान ग्रामीण सफाई कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, उन्हे लागू करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे शौचालयों के प्रावधान के लिए नए कार्यक्रम तैयार करना ।
- गैर–सरकारी संगठनों को कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (विशेष रूप से छोटे कस्बों में जहां ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं है) की संस्थापना करने एवं उन्हे चलाने के लिए प्रोत्साहन व समर्थन देना ।
- गैर–सरकारी संगठनों, परोपकारी संस्थाओं एवं महिला समूहों को हिंसा, उत्पीड़न एवं गृह–संघर्ष से पीड़ित महिलाओं हेतु अल्पकाल तक ठहरने के लिए घरों की स्थापना हेतु कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रारम्भ करने व उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करना ।
- नगरीय क्षेत्र की कच्ची बस्तियॉ, झोपड़पट्टियों में एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए, शौचालय बनवाने के लिए नगरपालिका एवं सार्वजनिक निकायों, निजी संस्थाओं एवं गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना ।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के अत्यधिक श्रम वाले कामों को कम करने के लिए गैर–परम्परागत ऊर्जा एवं ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निर्धूम रसोई वाला पर्यावरण प्रोन्नत करना ।
- विधवा, अविवाहित तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आय अर्जित करने व गरिमा के साथ जीवन यापन में उनकी सहायता करने की दृष्टि से, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना ।
- विचाराधीन एवं दोषी महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना ।

नोडल विभागः समाज कल्याण विभाग

प्रमुख विभागः

- नगरीय विकास व आवासन
- परिवहन
- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

(ग) स्वास्थ्य, पोषण एवं जन स्वास्थ्य (पानी, सफाई आदि)

राज्य की विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य, जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत व परिवार स्तर पर विशेष कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है । इतनी अधिक बढ़ी हुई जनसंख्या का कमजोर आर्थिक प्रणाली और राजस्थान के लोगो की जिन्दगी पर क्या असर होगा ? समझ से परे नहीं है ।शिशु एवं बाल मृत्यु दर भी राजस्थान में काफी अधिक है, जो चिन्ता का विषय है । आधे से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण समयपूर्व प्रसव होना है । जो महिला के स्तर, निरक्षरता, गरीबी, प्रसव के समय देशभाल, कम आयु में गर्भाधान, प्रसवपूर्व सेवाओं की उपलब्धता एवं स्तर तथा उनका उपयोग एवं प्रसव के समय उपलब्ध परिचारिका आदि पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त तीव्र श्वसन संक्रमण, नवजात बच्चे को दस्त अथवा निमोनिया, शिशु नाल में संक्रमण आदि रोगों के कारण शिशु मृत्यु होती है । बाल मृत्यु के कारण कुपोषण, समय पर टीकाकरण नहीं होना एवं परिवार का बच्चियों के प्रति उपेक्षित व्यवहार आदि है ।हालांकि प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध करना कठिन है परन्तु विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार यह स्पष्टतया बताते है कि समाज में लड़कों की तुलना में कम ध्यान रखा जाता है । लड़को की अपेक्षा लड़कियों को चिकित्सा देर से सुलभ होती है । राजस्थान में प्रजनन योग्य आयु के बाद ही महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है । सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है । इस कार्य की सफलता के लिये सरकार समाज के व्यापक सहयोग की अपेक्षा करती है ।

इन नीति के मुख्य बिन्दु निम्न है–

- अस्वस्थता के कुचक्र को दृष्टिगत रखते हुए सरकार सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की महत्ता को स्वीकार करती है ।
- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर ध्यान देना । इसके अर्न्गत बाल एवं मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए प्रयत्न करना ।प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन रेफरल सेवाओं को सक्षम बनाना, प्रजनन तंत्र संबंधी संक्रमणों तथा एच आई वी/एड्स सहित यौन सम्पर्क द्वारा अन्तरित बीमारियों की रोकथाम करना, महिलाओं की अधिक मृत्यु एवं रूग्णता के कारणों के बारे में समुदाय में(विशेष रूप से पुरूषों में) चेतना जागृत करने के लिए सार्वजनिक अभियान चलाना तथा प्रत्येक गांव, ढाणी एवं नगरीय कच्ची बस्तियों में प्रशिक्षित दाइयों के पूल में आवश्यकता अनुरूप वृद्धि करना ।
- महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने तथा गर्भ निरोधक उपायों के बारे मे (सहयोगी कुप्रभावों सहित) सूचना का प्रावधान कर अवांछित गर्भधारण के निवारण के लिए सक्षम बनाना ।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणात्मकता में सुधार जिसमें उपभोक्ता अभिमुखी पहुॅच पर अधिक जोर दिया जाए, जिससे महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा होगी तथा उनके प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित हो सकेगा ।
- सबसे निचले स्तर पर पैरामेडिकल कार्यकर्ताओं में क्लिनीकल कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना । इस हेतु उन्हें सेवा–पूर्व आधारभूत प्रशिक्षण एवं समय–समय पर सेवान्तर्गत प्रशिक्षण देना, समर्थक पर्यवेक्षण पद्धति तथा रेफरल सेवायें आयोजित करना । स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुॅच में वृद्धि करने के लिए इस संवर्ग को सक्षम बनाया जाना अति महत्वपूर्ण है